प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
डब्ल्यु पी एस नं. 2577/2015

आदेश सुरक्षित रखा गया : 09.08.2024
आदेश उद्घोषित किया गया : 29.08.2024

अनिल जोशी पिता स्व.श्री व्ही.पी.जोशी उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी 30 अर्जुन एन्क्लेव, भारव नगर, मठपुरेना, थाना टिकरापारा, रायपुर(छत्तीसगढ़) सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर(छत्तीसगढ़)

...... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मुख्य सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, रायपुर(छत्तीसगढ़) सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. सचिव, समान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य, मंत्रालय, नया रायपुर(छत्तीसगढ़) सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के पास, डी के एस चौक, रायपुर, सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

......उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिये	:	श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव और कु.आदिति दीवान आधिवक्तागण ।
उत्तरवादी क्र. 1 एवं 2/राज्य के लिये	:	श्री प्रफुल्ल एन भारत, महाअधिवक्ता के साथ श्री अमित बक्शी, पैनल अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्र. 3 के लिये	:	श्री श्याम सुन्दर लाल टेकचन्दानी, अधिवक्ता ।

(माननीय न्यायमूर्ती श्री संजय के.अग्रवाल)

सी ए व्ही आदेश

निहित प्रश्न :-

1. इस रिट याचिका में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता, जो राज्य सूचना आयुक्त था, जिसे बार के सदस्यों में से नियुक्त किया गया था, जिसने राज्य सूचना आयुक्त के पद पर अपनी नियुक्ति की नियत अवधि का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कार्यकाल पूरा कर लिया है, वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, 'आर.टी.आई.अधिनियम') (24-10-2019 से पूर्व असंशोधित) की धारा 16(5) के तहत राज्य के मुख्य सचिव के बराबर सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार है? इस जांच के लिए राज्य के अधिकारियों के लिए पेंशन को नियंत्रित करने वाले कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों की गहन समझ की आवश्यकता है, विशेष रूप से पेंशन के प्रावधान में अंतर्निहित सेवा शर्तों, जिम्मेदारियों और उद्देश्यों के प्रकाश में।

<u>संक्षेप में सुसंगत तथ्यः -</u>

2. उपरोक्त विधि का प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होता है:-

2.1) राज्य सरकार द्वारा आर.टी.आई. अधि. की धारा 15(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता बार का सदस्य होने के नाते अधिसूचना दिनांक 6-9-2009 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त (एस.आई.सी.) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 22-9-2008 को पांच साल की अवधि के लिए एस.आई.सी. के रूप में शपथ ली और 22-9-2013 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और तदनुसार कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। उन्हें उपरोक्त अवधि के लिए वेतन और भत्ते का भुगतान किया गया था। 8-7-2015 को याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की, जिसमें राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 को निर्देश देने की मांग की गई कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार उसे सेवानिवृत्ति के पुर्व और बाद के लाभ और पेंशन प्रदान किया जाये और राज्य/उत्तरवादी क्र.1 को आर.टी.आई. अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया जाए, जिसमें राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा की शर्तें और नियम निर्धारित किए गए हैं और याचिकाकर्ता को उक्त लाभ प्रदान किया जाए।

2.2) याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 16(5) स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को पेंशन का आज्ञापक और हकदार बनाती है, क्योंकि याचिकाकर्ता को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार वेतन और भत्ते जैसे अन्य सभी लाभ दिए गए थे, जिसके वह हकदार हैं और उत्तरवादी क्र. 1 और 2/राज्य ने अपने उत्तर में याचिकाकर्ता के पेंशन पाने के अधिकार को विवादित और अस्वीकार नहीं किया है और राज्य सरकार ने भी नियम का प्रारूप तैयार किये हैं, परन्तु अभी तक लागू नहीं किए गए हैं, और इसलिए वह पेंशन के हकदार हैं और इस प्रकार इस संबंध में उचित परमादेश के रिट की मांग किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. छत्तीसगढ़ राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 और 2 ने जवाब दाखिल किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 15(3) के तहत राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और आर.टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5) के आधार पर, वह वेतन और भत्ते के हकदार थे, जो उन्हें उनके पांच साल के कार्यकाल के दौरान भुगतान किए गए थे। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 16(5) (असंशोधित) के दूसरे प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेंशन के हकदार होने के लिए, व्यक्ति को नियुक्ति के समय पेंशन प्राप्त करनी चाहिए या उसकी पेंशन योग्य सेवा होनी चाहिए और आदेश दिनांक 6-9-2008 (अनुलग्नक पी-1) जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि याचिकाकर्ता पेंशन प्राप्त कर रहा था या उसकी पिछली सेवा पेंशन योग्य सेवा थी। यह भी तर्क दिया गया है कि आर.टी.आई. अधिनियम याचिकाकर्ता को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं करता है। आर.टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5) के द्वितीय परंतुक में याचिकाकर्ता की पूर्व सेवा पेंशन योग्य नहीं होने से पेंशन का अनुदान शामिल नहीं है और इस तरह, वह पेंशन के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि सरकार ने भुगतान योग्य वेतन और भत्ते के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए हैं और आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्धारित आरटीआई अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं के लिये नियमों और शर्तों के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन : -</u>

4. रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, ने तर्क दिया है कि पेंशन दिए जाने का याचिकाकर्ता का अधिकार और पात्रता आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आज्ञापक है, अभिव्यक्ति "सेवा की शर्तें" का अर्थ है और इसमें पेंशन शामिल है और किसी विशेष पद पर प्रवेश के स्रोत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और वर्गीकरण करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वह अपने तर्क की पुष्टी के लिए सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हैं :-

1. **मध्य प्रदेश राज्य वि. शार्दुल सिंह**[1] भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
2. **पंजाब राज्य वि. कैलाश नाथ** [2] भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
3. **श्री प्रशांत एस.पी. तेंदोलकर वि. गोवा राज्य एवं अन्य**[3] बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा(डिवीजन बेंच)।
4. **एस. सोमनाथन पिल्लई वि. केरल राज्य**[4] केरल उच्च न्यायालय (सिंगल बेंच)।
5. **विंग कमांडर जी बी अथरी (सेवानिवृत्त) वि. भारत संघ एवं अन्य**[5] कर्नाटक उच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच)।
6. **रॉबर्ट ह्रंगडावला, आईएएस एवं एससीआईसी (सेवानिवृत्त) वि. मिजोरम राज्य एवं अन्य** [6] गुवाहाटी उच्च न्यायालय (सिंगल बेंच)।
7. **श्री न्योडेक योंग्गाम एवं अन्य वि. अरुणाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य**[7] गुवाहाटी उच्च न्यायालय (एकल पीठ)।
8. **एच.एन. कृष्णा वि. कर्नाटक राज्य एवं अन्य** [8] कर्नाटक उच्च न्यायालय (एकल पीठ)।
9. **कर्नाटक राज्य एवं अन्य वि. भारत संघ एवं अन्य**[9] कर्नाटक उच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से तर्क :-

5. छत्तीसगढ़ राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भरत, तर्क दिया है कि आर.टी.आई. अधिनियम राज्य सूचना आयुक्त, जिनकी नियुक्ति सामयिक नियुक्ति थी, को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है और याचिकाकर्ता को पेंशन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है , क्योंकि याचिकाकर्ता बार का सदस्य होने के नाते एस .आई.सी. के रूप में अपनी नियुक्ति की तिथि पर पेंशन योग्य पद पर नहीं था , क्योंकि वह बार का सदस्य था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आर .टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16 की उपधारा (5) के परन्तुक में पूर्व सेवा पेंशन योग्य नहीं होने से पेंशन का अनुदान शामिल नहीं है। उन्होंने **प्रभु नारायण वि. उत्तर प्रदेश राज्य**[10] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आधार लिया है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि संबंधित कर्मचारी को यह दिखाना

1. 1970(1) SCC 108
2. 1989(1) SCC 321
3. W.P.No.433/2021, decided on 1-8-2024
4. AIR OnLine 2023 Ker 302
5. W.P.No.52207/2017 (GM-RES) PIL, decided on 14-7-2021
6. 2014 LAB. I.C. 504
7. WP (C) 329 (AP) 2013, decided on 22-8-2014
8. W.P.No.23010/2015 (S-R) decided on 21-11-2017
9. W.A.No.661/2018 (S-R), decided on 23-8-2018
10. (2004) 13 SCC 662

होगा कि वह किसी विशेष नियम या योजना के तहत पेंशन का हकदार है, और उनके अनुसार, प्रभु नारायण (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन **यू.पी. रोडवेज सेवानिवृत्त अधिकारी एवं अधिकारी संघ वि. यू.पी. राज्य एवं अन्य**[11] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले में अनुमोदन के साथ किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हमेशा कुछ न्यूनतम सेवा निर्धारित की जाती है और याचिकाकर्ता के पास राज्य के मुख्य सचिव के मामले की तरह पेंशन के उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा नहीं है। इसलिए, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके द्वारा दिए गए उपरोक्त विरोधी तर्कों पर विचार किया और रिकॉर्ड को भी ध्यानपूर्वक और बारीकी से अध्ययन किया है।

7. सुसंगत प्रावधानों पर विचार करने से पूर्व, पेंशन के उद्देश्य एवं प्रयोजन तथा पेंशन की अवधारणा के साथ ही साथ पेंशन का अधिकार किसको है पर विचार किया जाना उचित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पेंशन का उद्देश्य एवं प्रयोजन : -

8. भारत में सरकारी अधिकारियों के लिए पेंशन प्रणाली एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में तैयार की गई है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने अपना पेशेवर जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। पेंशन के लिए अंतर्निहित तर्क केवल पिछली सेवाओं की भरपाई करना नहीं है बल्कि जब व्यक्ति को नियमित वेतन नहीं मिलता है, तब सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक और स्थिर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। पेंशन का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में काम करना है, जो सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने पर नियमित आय अर्जित करना बंद कर देते हैं। यह समर्थन उनके सेवानिवृत्ति पूर्व की स्थिति के अनुरूप जीवन स्तर बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण है। पेंशन इस तथ्य की मान्यता है किजीवन भर सार्वजनिक सेवा के बाद, जिसके दौरान व्यक्ति को अन्य पेशेवर काम करने या द्वितीयक आय अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए आय के एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता होती है।

11 Civil Appeal No.894 of 2020, decided on 26-7-2024

पेंशन की अवधारणा: -

9. पेंशन की अवधारणा सरकार के प्रति दीर्घकालिक समर्पण और सेवा को पुरस्कृत करने के विचार से निकटता से जुड़ी हुई है। पेंशन के लिए पात्रता आमतौर पर 10 साल की न्यूनतम योग्यता अवधि पूरी करने पर निर्भर करती है। यह मानदंड इस धारणा को रेखांकित करता है कि पेंशन किसी भी संक्षिप्त या अस्थायी सेवा के लिए पात्रता नहीं है , बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में निरंतर और महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार है। सेवा की अवधि जितनी लंबी होगी, पेंशन लाभ उतना ही अधिक होगा, जो सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता के बीच आनुपातिक्ता को दर्शाता है।

10. धारणात्मक रूप से, पेंशन पिछली सेवा का पुरस्कार है। यह सेवा की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सेवा की अवधि पात्रता और पेंशन की मात्रा का निर्धारण करती है। {देखें **पंजाब राज्य वि. न्यायमूर्ति एस.एस. दीवान (सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति) एवं अन्य।**}[12]

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. **ब्लैक लॉ डिक्शनरी**[13] के अनुसार पेंशन का अर्थ है: "सेवानिवृत्ति लाभ नियमित रूप से (आमतौर पर मासिक) दिया जाता है, जिसकी राशि आम तौर पर रोजगार की अवधि और पेंशनभोगी की मजदूरी या वेतन की राशि पर आधारित होती है। प्रदान की गई सेवाओं के लिए विलंबित मुआवजा।" (जोर दिया गया)

12. पेंशन की अवधारणा अब अच्छी तरह से जानी जाती है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार स्पष्ट की गई है। यह कोई दान या इनाम नहीं है और न ही यह निशुल्क भुगतान है जो पूरी तरह नियोक्ता की इच्छा या इच्छा पर निर्भर करता है। यह लंबी सेवा प्रदान करने के लिए अर्जित किया जाता है और इसे अक्सर पिछली सेवा के लिए मुआवजे के स्थगित हिस्से के रूप में वर्णित किया जाता है। यह वास्तव में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीवन के अंतिम समय के लिए प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की प्रकृति में है। ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ संविधान की सामाजिक -आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं जब संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में नियोक्ता एक राज्य होता है। (देखें **अखिल भारतीय रिजर्व बैंक सेवानिवृत्त अधिकारी संघ एवं अन्य वि. भारत संघ एवं अन्य** ।)[14]

12 (1997) 4 SCC 569
13 6 th Edn, p 1134
14 1992 Supp (1) SCC 664

पेंशन का अधिकार: -

13. **डी.वी. कपूर वि. भारत संघ एवं अन्य**[15] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप ने माना है कि कर्मचारी का पेंशन का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इसलिए, ऐसे अधिकार से वंचित करना कानून के अनुसार होना चाहिए।

14. **यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य वि. पी.डी. यादव**[16] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि निःसंदेह पेंशन कोई इनाम नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति द्वारा संतोषजनक रूप से अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अर्जित की गई राशि है और अन्यथा वह इसका हकदार नहीं है।

15. **स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य वि. अमर नाथ गोयल एवं अन्य**[17] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने दोहराया है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है। माननीय न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि पेंशन उन लोगों को दिया जाने वाला विशेषाधिकार है, जिन्होंने सार्वजनिक सेवा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **प्रभु नारायण** (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को यह स्थापित करना होगा कि वे किसी विशेष नियम या योजना के तहत पेंशन के हकदार हैं, और माननीय न्यायाधीशों ने पैराग्राफ 5 में इसे इस प्रकार माना है: -

> "5. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेंशन कोई उपहार नहीं है, यह कर्मचारी को दिया गया एक मूल्यवान अधिकार है, लेकिन, सबसे पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि कर्मचारी किसी विशेष नियम या योजना के तहत पेंशन का हकदार है, जैसा भी मामला हो।"

17. **प्रभु नारायण** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय का अनुसरण **यू पी रोडवेज सेवानिवृत्त अधिकारी एवं अधिकारी संघ** (सुप्रा) में किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा के माध्यम से माना है कि पेंशन का दावा तभी किया जा सकता है जब यह प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत अनुगेय हो, और पैराग्राफ 35 में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

> "35. इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों में सामान्य सूत्र यह है कि पेंशन एक अधिकार है न कि एक इनाम। यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसका

15 (1990) 4 SCC 314
16 (2002) 1 SCC 405
17 (2005) 6 SCC 754

एक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर हकदार है। हालांकि, पेंशन का दावा तभी किया जा सकता है जब यह प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत अनुगेय हो। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है और पेंशन योग्य पद पर नहीं है, तो वह पेंशन का दावा नहीं कर सकता है, न ही रिट कोर्ट नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को पेंशन देने का निर्देश देने के लिए परमादेश जारी कर सकता है जो नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।

18. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है जिसके लिए कर्मचारी हकदार है। पेंशन का दावा करने वाले व्यक्ति को यह स्थापित करना होगा कि वह किसी विशेष नियम या योजना के तहत पेंशन का हकदार है, जैसा भी मामला हो।

<u>आर.टी.आई. अधिनियम में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान:</u> -

19. अब, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, उन प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा जिनके तहत याचिकाकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त के पद पर पेंशन का दावा किया है, जिस पर वह कार्यरत था। 24-10-2019 के संशोधन से पहले अपरिवर्तित आरटीआई अधिनियम की धारा 16(5) निम्नानुसार थी: -

"16. **<u>पदावधि और सेवा की शर्ते</u>**.--(1) से (4) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते और निबंधन--

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते और निबंधन निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के समान होगा:

बशर्ते कि यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पिछली सेवा के संबंध में पेंशन (विकलांगता या आहत पेंशन के अलावा) प्राप्त कर रहा हो, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में उस पेंशन की राशि से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कटौती की जाएगी, जिसमें पेंशन का वह हिस्सा शामिल है जिसे परिवर्तित किया गया था और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों के बराबर पेंशन:

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी में की गई किसी पिछली सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो। सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के वेतन में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में कटौती की जाएगी , तथा सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन की राशि से कटौती की जाएगी:

बशर्ते कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि, इस प्रावधान को 2019 के अधिनियम 24 द्वारा संशोधित किया गया और संशोधित प्रावधान में निम्नानुसार कहा गया है: -

"(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं:

बशर्ते कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अहितकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे, जैसे कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू नहीं हुआ था।"

<u>विधिक विश्लेषण एवं तर्क:-</u>

20. आर.टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5)(ए) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को देय

वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें चुनाव आयुक्त के समान होंगी। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 16(5) का पहला प्रावधान संशोधित मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 10(2) के समतुल्य है। आर.टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5) के प्रथम परंतुक का प्रभाव यह होगा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त व्यक्ति , यदि वह इस पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर था, जिसके तहत उसे उस सेवा के लिए लागू नियमों के अंतर्गत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार माना गया था, तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन उस पेंशन की सीमा तक कम कर दिया जाएगा , जिसका अर्थ है कि वह (राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त) अपनी पेंशन ले सकता है, जो उसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व की गई सेवा के लिए दी गई थी। इस प्रकार,संबंधित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को इस पद (एसआईसी) पर नियुक्ति की तिथि पर जो पेंशन मिल रही थी, वह सुरक्षित और संरक्षित है और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पद से हटने के बाद भी उन्हें नियमानुसार पेंशन मिलती रहेगी। आर.टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5)(बी) में प्रावधान है कि राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 16(5) में नियोजित "अन्य नियम और शर्तें" में पेंशन का अधिकार शामिल करेंगी, क्योंकि राज्य सूचना आयुक्त की "सेवा की अन्य शर्तें" राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होंगी। हालाँकि, इस परिदृश्य पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता राज्य सूचना आयुक्त के पद पर अपनी नियुक्ति से पहले पेंशन योग्य पद पर नहीं था और उसे अपनी नियुक्ति से पहले केंद्र या राज्य सरकार या किसी निगम के तहत कोई सिविल पद धारण किए बिना सीधे उक्त पद पर नियुक्त किया गया था , क्योंकि वह बार (एडवोकेट) का सदस्य था। आर.टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5) के प्रथम परंतुक के प्रभाव पर दो स्थितियों में विचार किया जाना अपेक्षित है, पहला, वह व्यक्ति जो उक्त पद पर सीधे नियुक्त होता है , बिना अपनी नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय /राज्य सरकार के अधीन सिविल पद धारण किए, जैसे कि याचिकाकर्ता है, तथा दूसरा, वह पदधारी जो ऐसे सिविल पद धारण करता है, जैसे कि राज्य का मुख्य सचिव। आर.टी.आई. अधिनियम की

धारा 16(5) से संलग्न प्रथम परंतुक केवल उक्त पद से जुड़े वेतन में उस पेंशन की राशि तक कटौती करने का निर्देश देता है , जो पदधारी अपनी नियुक्ति के समय पेंशन योग्य सेवा के रूप में धारण कर रहा था। हालांकि , आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 16 किसी भी सेवानिवृत्ति पेंशन के बारे में आगे कोई प्रावधान नहीं करती है। यह स्पष्ट है कि उक्त पद से हटने के बाद वह व्यक्ति जो पहले सिविल सेवक के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा था , वह अपनी पेंशन को आगे बढ़ाएगा जो उसने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के पद पर नियुक्ति से पूर्व प्राप्त की थी , तथा पद से हटने के पश्चात् वह राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो , के रूप में सेवा में रहते हुए एसआईसी या एससीआईसी के पद के विरुद्ध पेंशन का हकदार नहीं होगा , यदि वह पहले पेंशन योग्य पद पर नहीं था।

22. इस मुद्दे पर दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पद को पेंशन योग्य पद नहीं दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार के मुख्य सचिव को निश्चित रूप से मुख्य सचिव के पद पर आसीन व्यक्ति की सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर पेंशन का लाभ दिया गया है तथा यह उस सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर है जिसके अंतर्गत वह उक्त पद (मुख्य सचिव) धारण करता है, जो पेंशन प्रदान करने का प्रावधान करता है। पेंशन नियमों के तहत उन नियमों और शर्तों में से एक है जो उस सेवा पर लागू होती है जिससे वह संबंधित है और वह भी सेवा की अर्हक अवधि आदि जैसी विभिन्न शर्तों के अधीन है और यह केवल लागू नियमों के आधार पर है कि पदधारी पेंशन के लिए हकदार है। इस प्रकार, राज्य सूचना आयुक्त केवल उसे देय वेतन और भत्ते और राज्य सरकार के मुख्य सचिव के पद से जुड़ी अन्य शर्तों के लिए हकदार है, जिसके लिए मुख्य सचिव हकदार हैं, लेकिन पेंशन नहीं और इसलिए, नियमों के तहत, एसआईसी या एससीआईसी को पेंशन का कोई अधिकार नहीं है।

23. इस संबंध में, <u>**टी. रामकृष्णय्या वि. कर्नाटक राज्य**</u>[18] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को यहां ध्यान में रखा जा सकता है। उस मामले में , सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता को दो साल की अवधि के लिए कर्नाटक विक्रय कर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद मैसूर विक्रय कर नियम, 1957 के तहत समय-समय पर उनकी नियुक्ति जारी रही और अपीलकर्ता की नियुक्ति (वहां) अंशकालिक प्रकृति

---
18 (1990) 3 SCC 619

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की थी। अपीलकर्ता ने सेवानिवृत्ति पेंशन का दावा किया जिसे सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मैसूर सिविल सेवा नियम, 1957 अपीलकर्ता पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि अपीलकर्ता की (वहां) नियुक्ति आवधिक थी और अधिकतम आयु तक नहीं थी और न ही यह पूर्णकालिक सेवा थी बल्कि अंशकालिक थी। माननीय न्यायाधीशों ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 में निम्नलिखित टिप्पणी की है: -

> "11. अपीलकर्ता की नियुक्ति आवधिक है और अधिकतम आयु तक नहीं है और न ही यह पूर्णकालिक सेवा है,बल्कि अंशकालिक है और अपीलकर्ता को किसी भी व्यक्ति का लेखा-जोखा लेने की अनुमति दी गई थी, किसी सरकारी कर्मचारी को पूर्णकालिक सेवा देनी होती है। इसलिए, इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने पाया है कि मैसूर सिविल सेवा नियम, 1957 अपीलकर्ता पर लागू नहीं होते हैं और इस तरह वह सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए पात्र नहीं है। हमें उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमी नहीं दिखती है जो अपवाद रहित है।

24. आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 16(6), जैसा कि संशोधित नहीं है, राज्य सरकार को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें प्रदान करने का अधिकार देती है , जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित कहा गया है: -

> "(6) राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के तहत उनके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं।"

25. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति आर .टी.आई. अधिनियम की धारा 27(2)(डी) के तहत अपरिवर्तित रूप में निर्धारित की गई है , जिसमें निम्नलिखित कहा गया है: -

"**<u>27. सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति।</u>**— (1) xxx xxx xxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) विशेष रूप से, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) से (ग) xxx xxx xxx

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) तथा धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें;

(ङ) और (च) xxx xxx xxx"

26. तथापि, राज्य सरकार ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 27(2)(घ) के अधीन नियम बनाने के प्राधिकार का प्रयोग करते हुए आज तक अथवा याचिकाकर्ता के पद से सेवानिवृत्त होने तक कोई नियम नहीं बनाया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि पर, राज्य सूचना आयुक्त के लिए आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के तहत सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले कोई वैधानिक नियम नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता, जो बार (एडवोकेट) के विद्वान सदस्य थे, को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर पांच साल की अवधि (22-9-2008 से 22-9-2013) के लिए नियुक्त किया गया था, वह एसआईसी के रूप में अपनी नियुक्ति की तिथि पर पेंशन योग्य सेवा नहीं कर रहे थे और उन्हें एसआईसी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के मुख्य सचिव के बराबर वेतन और भत्ते का भुगतान किया गया था और उन्हें पेंशन का कोई अधिकार नहीं है। यह केवल पांच साल के लिए आवधिक नियुक्ति थी और यह पूर्णकालिक सेवा भी नहीं थी। याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि उसे एसआईसी के रूप में पद छोड़ने पर आरटीआई अधिनियम की धारा 16(5) के आधार पर सेवानिवृत्ति पेंशन का कानूनी अधिकार है।

इस मुद्दे पर अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय: -

28. **श्रीधर महतो वि. झारखंड राज्य एवं अन्य**[19] के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया और माना कि रिट याचिकाकर्ता राज्य सूचना आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख पर किसी भी पेंशन योग्य सेवा पर काम नहीं कर रहा था और उस संदर्भ में, यह

19 L.P.A.No.407/2023, decided on 1-12-2023

आगे माना गया कि रिट याचिकाकर्ता पेंशन लाभ के लिए हकदार नहीं था। यह भी माना गया है कि आर .टी.आई. अधिनियम की धारा 16(5) के असंशोधित प्रावधान के साथ धारा 27(2)(डी) में निहित प्रावधान केवल वेतन और भत्ते तक ही सीमित है और निम्नानुसार देखा गया है: -

> "25. आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि राज्य सूचना आयुक्त का पद राज्य के मुख्य सचिव के पद के बराबर माना जाता है , इसलिए पेंशन सहित समान लाभ राज्य सूचना आयुक्त के पद के धारक को दिया जाना चाहिए, लेकिन धारा 16(5) के असंशोधित प्रावधान के साथ धारा 27 के प्रावधान के आधार पर हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार यह केवल वेतन और भत्ते तक ही सीमित है।"

29. **<u>श्री प्रशांत एस.पी. तेंदोलकर</u>** (सुप्रा) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए माना है कि चूंकि याचिकाकर्ता (उसमें) गोवा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दक्षिण के अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। जिले में कार्यरत था और जब उसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था , तब वह पेंशन प्राप्त कर रहा था, इसलिए वह सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 के अनुसार अतिरिक्त पेंशन लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. **<u>मुनि राम रंगा वि. हरियाणा राज्य</u>**[20] के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने माना है कि यह मानते हुए कि राज्य के मुख्य सचिव पर लागू नियम राज्य सरकार के नियम राज्य सूचना आयुक्त पर लागू होते हैं, तब भी, न्यूनतम अर्हक नियमित सेवा पूरी न करने की स्थिति में , जो कि दस वर्ष है और जिसमें याचिकाकर्ता ने केवल पांच साल तक काम किया है, वह पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा।

31. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **<u>शार्दुल सिंह</u>** प्रकरण (सुप्रा), **<u>कैलाश नाथ</u>** प्रकरण (सुप्रा), **<u>एस सोमनाथन पिल्लई</u>** (सुप्रा), **<u>विंग कमांडर जी बी अत्री (सेवानिवृत्त)</u>** (सुप्रा), **<u>रॉबर्ट ह्नंगडावला, आईएएस एवं एससीआईसी (सेवानिवृत्त)</u>** (सुप्रा), **<u>श्री न्योडेक योंगगाम</u>** (सुप्रा), **<u>एचएन कृष्णा</u>** (सुप्रा) और **<u>कर्नाटक राज्य</u>** (डिवीजन बेंच) (सुप्रा) में उद्धृत अन्य निर्णय, यहां आयोजित कानूनी विश्लेषण के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी निर्णय सैधांतिक रूप से यह नहीं बताता है कि एसआईसी बार का

---
20 CWP No.351 of 2015 (O&M), decided on 17-1-2017

सदस्य होने के नाते एसआईसी के रूप में पद छोड़ने पर सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए हकदार है।

निष्कर्ष:-

32. इस प्रकार, उपर्युक्त विधिक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पेंशन पिछली सेवा के लिए एक पुरस्कार है, यह सेवा की अवधि/योग्यता अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है, तथा सेवा की अवधि पेंशन की पात्रता और मात्रा का निर्धारण करती है। पेंशन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और यह स्थापित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति किसी विशेष नियम या योजना के तहत पेंशन का हकदार है। आर .टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5) केवल राज्य सूचना आयुक्त को राज्य सरकार के मुख्य सचिव के बराबर वेतन और भत्ते प्रदान करती है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, जो पहले सिविल पद पर कार्यरत थे और एससीआईसी या एसआईसी के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि पर जिस सिविल पद पर वे पहले कार्यरत थे, उसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे थे, की पेंशन को आरटीआई अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5) के प्रथम प्रावधान द्वारा सुरक्षित और संरक्षित किया गया है और राज्य सरकार के मुख्य सचिव पर लागू सेवा नियम, जो पेंशन योग्य सेवा है, राज्य सूचना आयुक्त के मामले में लागू नहीं होते हैं जो राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति के समय सिविल पद पर नहीं थे। पेंशन के उद्देश्य के लिए भी यह मान लिया जाए कि इसे लागू माना जाता है, तब भी याचिकाकर्ता ने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में निर्धारित न्यूनतम अर्हक नियमित सेवा पूरी नहीं की है, क्योंकि उनकी नियुक्ति आवधिक थी, यह केवल पांच साल के लिए थी और अंशकालिक थी, और यह पूर्णकालिक नौकरी नहीं थी।

33. उपर्युक्त विधिक विश्लेषण के मद्देनजर, याचिकाकर्ता किसी भी पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा, विशेषकर याचिकाकर्ता के स्वयं के कथन के अनुसार , आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों के संबंध में नियम, जैसा कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 27(डी) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए हैं।

34. निष्कर्षतः, यह माना जाता है कि राज्य सूचना आयुक्त (बार का सदस्य), अपने कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव के समकक्ष वेतन और भत्ते प्राप्त करने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के बावजूद, राज्य के मुख्य सचिव के समान सेवानिवृत्ति पेंशन /लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। राज्य सूचना आयुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण होते हुए भी सेवानिवृत्ति पेंशन पात्रता के पारंपरिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है। कार्यकाल आमतौर पर छोटा होता है, क्योंकि यह आवधिक होता है, और व्यक्ति ने अपना पूरा पेशेवर जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित नहीं किया हो सकता है। इसलिए, यह मानना कि, याचिकाकर्ता अपनी आवधिक नियुक्ति के पूरा होने पर सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है , न केवल पेंशन प्रणाली के उद्देश्यों के साथ असंगत होगा , बल्कि राज्य के खजाने पर भी अनुचित बोझ डालेगा। इस प्रकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त (गैर-सरकारी) के वेतन और भत्ते उनकी सेवा की अवधि तक सीमित हैं। सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति पेंशन, इन सेवा शर्तों के दायरे में शामिल नहीं हैं। यह अंतर पेंशन प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि यह उन लोगों का समर्थन करने के अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करे जिन्होंने सार्वजनिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लागू नियमों के अनुसार सार्वजनिक सेवा को पार कर चुके हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि उसे आर .टी.आई. अधिनियम (असंशोधित) की धारा 16(5) के तहत एसआईसी के रूप में नियुक्ति के अपने कार्यकाल के पूरा होने के बाद पेंशन का अधिकार है और इस प्रकार, वह पेंशन की राहत के लिए हकदार नहीं है। तदनुसार, पक्षकारों को अपना व्यय वहन करने के निर्देष के साथ रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

मुख्य टिप्पणी

अधिवक्ता परिषद के सदस्यों में से नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त अधिवार्षिकी पेंशन पाने का हकदार नहीं है।

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**